कृषिगत आधारभूत अवसंरचना

–देवाशीष उपाध्याय

प्रधानमंत्री 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना के विकास पर बल दे रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने किसानों को लागत मूल्य की डेढ़ गुना कीमत प्रदान करने के लिए खरीफ की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि कर दी है। किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) और 'ग्रामीण कृषि बाजार' की स्थापना की गई है। साथ ही, किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए खेती को 'उद्यम' के रूप में विकसित किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का एक बडा हिस्सा अर्थोपार्जन के लिए कृषि अथवा कृषि संबंधित उपागम पर आश्रित है। कृषि को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात् सभी सरकारों ने कृषि संबंधी सुधार के अनेक प्रयास किए हैं। हरितक्रांति के परिणामस्वरूप देश अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर तो बन गया लेकिन बढ़ती जनसंख्या और कमरतोड़ महंगाई के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं हो सका। किसानों द्वारा खेती का लागत मूल्य निकाल पाना चुनौतीपूर्ण है। प्रधानमंत्री 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना के विकास पर बल दे रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने किसानों को लागत मूल्य की डेढ़ गुना कीमत प्रदान करने के लिए खरीफ की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि कर दी है।

वैज्ञानिक व तकनीकी विकास के बावजूद देश में आज भी 40 से 50 फीसदी कृषि प्रणाली मानसून (भगवान) के भरोसे है। जिस वर्ष प्रकृति साथ देती है, उस वर्ष तो देश में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न उत्पादन होता है परंतु प्रकृति के कुपित होने की स्थिति में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। इसी कारण देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मानसून आधारित जुआ कहा जाता है। कर्ज तले दबा किसान अगली फसल के लिए फिर से कर्ज लेने को मजबूर हो जाता है। विगत वर्षों में कर्ज के जाल में उलझे अनेक किसानों ने कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं मौत का आलिंगन कर लिया। प्राकृतिक निर्भरता को कम करने और किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कृषि क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना के विकास पर जोर दिया जा रहा है।

सूखे के प्रकोप से बचने के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया जा रहा है। वर्षाजल के संग्रहण हेतु 'वाटरशेड परियोजना' के अंतर्गत बड़े पैमाने पर तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। नदियों के जल को देश के दूसरे क्षेत्रों में ले जाने हेतु नहरों के निर्माण एवं उनकी नियमित साफ–सफाई की जा रही है। अच्छे वाटर लेवल वाले क्षेत्रों में नलकूप लगाए जा रहे हैं। नदियों के जल को संग्रहित व नियंत्रित करने और बाढ़ से बचाव के लिए बांध व तटबंधों का निर्माण किया जा रहा है। किसानों को समय से पर्याप्त मात्रा में उन्नत किस्म के बीज मुहैया कराने के लिए ब्लॉक स्तर पर बीज संसाधन केंद्रों की स्थापना की गई है। मृदा भूमि परीक्षण द्वारा किसानों को 'मृदा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र' उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे किसानों को मृदा में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त हो सके और किसान भू आवश्यकतानुरूप उर्वरकों का प्रयोग कर सकें। उर्वरकों की कमी की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में नीम कोटेड यूरिया

की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर रही है।

किसानों को आधुनिक कृषि संयंत्र खरीदने एवं अन्य कृषि जरूरतों की पूर्ति हेतु सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में कृषि ऋण की व्यवस्था की गई है। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु ब्लॉक–स्तर पर गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी तरह फल व सब्जियों को संरक्षित करने हेतु शीतगृह एवं शीतशृखंला का निर्माण किया जा रहा है। किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) और 'ग्रामीण कृषि बाजार' की स्थापना की गई है। साथ ही, किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए खेती को 'उद्यम' के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्थानीय–स्तर पर किसानों को कृषिगत रोजगार मुहैया कराने और फसल उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए देशभर में 42 मेगा फूड पार्कों की स्थापना की जा रही है। ग्रामीण–स्तर पर स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन हेतु बैंकों से अनुदान व ऋण सहायता का प्रबंध किया गया है। कृषि उत्पाद आधारित लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना एवं सफल क्रियान्वयन हेतु आर्थिक अनुदान व सहायता की व्यवस्था की गई है।

> सूखे के प्रकोप से बचने के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया जा रहा है। वर्षाजल के संग्रहण हेतु 'वाटरशेड परियोजना' के अंतर्गत बड़े पैमाने पर तालाबों का निर्माण किया जा रहा है; अच्छे वाटर लेवल वाले क्षेत्रों में नलकूप लगाए जा रहे हैं; बांध व तटबंधों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, किसानों को समय से पर्याप्त मात्रा में उन्नत किस्म के बीज मुहैया कराने के लिए ब्लॉक–स्तर पर बीज संसाधन केंद्रों की स्थापना की गई है। मृदा भूमि परीक्षण द्वारा किसानों को 'मृदा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र' उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे किसानों को मृदा में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त हो सके और किसान भू आवश्यकतानुरूप उर्वरकों का प्रयोग कर सकें।

सिंचाई संसाधनों का विकास

देश की भौगोलिक व प्राकृतिक विविधता के कारण कुछ क्षेत्रों में तो सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में पीने के पानी का भी अकाल है। अच्छी पैदावार के लिए समय से पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फसल की प्रकृति के अनुरूप कम या अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। इसी कारण भौगोलिक संरचना एवं उपलब्ध सिंचाई संसाधनों के आधार पर देश के विभिन्न भागों में फसल उत्पादन में विविधता पाई जाती है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 48 प्रतिशत भू–भाग ही सिंचित है। जल संसाधनों की उपलब्धता दिन–प्रतिदिन कम होती जा रही है। देश की बढ़ती आबादी की खाद्य और पेय संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए निकट भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर जल की आवश्यकता पड़ने वाली है।

कृषि कार्य हेतु देश में मौजूद लगभग 80 प्रतिशत जल–संसाधनों का उपयोग करने के बावजूद कृषि क्षेत्र में जल उपभोग की दक्षता बहुत कम है। जल उपलब्धता की कमी के बावजूद देश में सिंचाई के दौरान बड़े पैमाने पर जल नष्ट हो जाता है। सिंचाई परिवहन प्रणाली में खामियों के कारण फसल उत्पादन में 55 से 60 प्रतिशत जल का ही उपयोग हो पाता है, शेष जल नष्ट हो जाता है। सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और 'हर खेत को पानी' उपलब्ध कराने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सिंचाई संसाधनों के आधुनिकीकरण और विस्तार का प्रयास कर रही है। 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने आपसी सहयोग से कम लागत पर संपूर्ण सिंचाई श्रृंखला की शुरुआत की है। इससे सूखे की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकेगा। इसके अंतर्गत परंपरागत सिंचाई प्रणाली में विभिन्न प्रकार के सुधार किए जा रहे हैं।

जल परिवहन में दक्षता– सिंचाई के दौरान परिवहन में बड़े पैमाने पर जल बर्बाद हो जाता है। आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर जल परिवहन में जल की बर्बादी को कम किया जा सकता है।

जल उपयोग में दक्षता– 'प्रति बूंद जल का अधिकतम उपयोग' सिंचाई का 30–40 प्रतिशत जल वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। आधुनिक पद्धति का उपयोग कर सिंचाई के संपूर्ण जल का उपयोग फसल पैदावार के लिए किया जा सकता है।

जल संरक्षण– वर्षा के जल को नष्ट होने से बचाने के लिए तथा भविष्य में उसका पुर्न–उपयोग करने के लिए जल संरक्षण पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा वाटरशेड जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्थानीय–स्तर पर भी गढ्ढे और तालाब खोदकर जल एकत्रण का प्रयास किया जा रहा है।

जल वितरण दक्षता– सिंचाई के दौरान जल का एक समान

क्र. सं.	राज्य का नाम	शीतगृह की संख्या	कुल क्षमता (मीट्रिक टन में)
1	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	442	1782561
2	अरुणाचल प्रदेश	2	6000
3	असम	36	157906
4	बिहार	306	1415595
5	छत्तीसगढ़	98	484087
6	दिल्ली	97	129857
7	गोवा	29	7705
8	गुजरात	764	2901807
9	हरियाणा	338	749830
10	हिमाचल प्रदेश	66	131017
11	जम्मू और कश्मीर	38	112516
12	झारखंड	58	236680
13	कर्नाटक	198	560178
14	केरल	198	80405
15	मध्य प्रदेश	300	1263665
16	महाराष्ट्र	604	978392
17	मणिपुर	2	5500
18	मेघालय	4	8200
19	मिजोरम	3	4001
20	नागालैंड	4	7350
21	ओडीशा	171	540141
22	पंजाब	660	2155704
23	राजस्थान	166	555278
24	सिक्किम	2	2100
25	तमिलनाडु	174	337625
26	त्रिपुरा	14	45477
27	उत्तर प्रदेश	2299	14176062
28	उत्तराखंड	46	160419
29	पश्चिम बंगाल	512	5947561
30	लक्षद्वीप	1	15
31	पुडुचेरी	3	85
32	चंडीगढ़	7	12462
33	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	810
	कुल	7645	34956991

वितरण किया जाना चाहिए। जल का जितना समान वितरण होगा, फसल की पैदावार उतनी ही अच्छी होगी।

इस योजना में तीन मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय समेकित रूप से कृषि मंत्रालय का सहयोग कर रहे हैं। सूखा प्रभावित इलाकों में जल–संरक्षण और बांध आधारित बड़ी परियोजनाओं के सहयोग से स्थानीय जरूरतों के मुताबिक जिला–स्तरीय परियोजना के द्वारा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक का उपयोग कर 'प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन' पर जोर दिया जा रहा है। जल बचत और सटीक सिंचाई प्रणाली द्वारा पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार किया जा रहा है। देश के प्रत्येक खेत में सिंचाई सुविधाओं के लिए जल संरक्षण और अपव्यय को कम करने पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए नवीन जल स्रोतों का निर्माण करने के साथ–साथ पुराने जल स्रोतों के जीर्णोद्धार द्वारा जल संचयन के प्रयास किए जा रहे हैं। जल के दक्षतापूर्ण परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भूमिगत पाइप लाइन प्रणाली, पीवेट, रेनगन और अन्य उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आधुनिक फव्वारा (स्प्रिंकल) और बूंद–बूंद सिंचाई (ड्रिप इरीगेशन) तकनीकी द्वारा सिंचाई करने से 30 से 40 प्रतिशत अतिरिक्त भू–भाग की सिंचाई की जा सकती है। जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से देश में खाद्यान्न उत्पादन के साथ–साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

शीत एवं भंडारगृहों की स्थापना

देश में रिकॉर्ड फसल उत्पादन के पश्चात् कृषि उत्पाद को सुरक्षित रखना सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। गैर–सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में प्रतिवर्ष 670 लाख टन खाद्यान्न नष्ट हो जाते हैं। भारत सरकार के 'सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी' के अध्ययन के अनुसार, उचित भंडारण की कमी के कारण देश में बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों की बर्बादी होती है जिससे लाखों लोगों की भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। खाद्य पदार्थों की बर्बादी के कारण देश में भुखमरी और महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है। भंडारण की समुचित व्यवस्था से खाद्यान्न संरक्षण द्वारा किसानों को फसल की समुचित कीमत मिलने के साथ–साथ उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर खाद्य पदार्थ मुहैया हो सकता है। कृषि मंत्री स्वयं स्वीकारते हैं कि देश में बड़े पैमाने पर प्याज, टमाटर, आलू इत्यादि खेत से उपभोक्ता तक पहुंचने से पूर्व ही नष्ट हो जाते हैं।

खाद्यान्न को चूहे, कोकरोच, कीड़े, मकोड़े, नमी इत्यादि से बचाकर लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए नियंत्रित तापमान एवं आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है। खाद्यान्नों का संरक्षण भंडारगृह व गोदाम में और फल व सब्जियों का संरक्षण शीतगृह में किया जाता है। राज्य भंडारण निगम ब्लॉक स्तर पर और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) जनपद स्तर पर भंडारगृहों की स्थापना करते हैं। खाद्यान्नों के भंडारण हेतु बड़े पैमाने पर

निजी भंडारगृहों की स्थापना की जा रही है। सरकार निजी भंडारगृहों की स्थापना हेतु सहायता व अनुदान राशि देती है। देश में एफसीआई की कुल भंडारण क्षमता 773 लाख टन अनाज रखने की है। इसके बावजूद देश में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न नष्ट हो जाते हैं। इसलिए खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए अभी और भंडारगृहों की जरूरत है। फल और सब्जियों का भंडारण 2 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान एवं 85 से 95 सापेक्षिक आर्द्रता के नियंत्रित वातावरण में किया जाता है जिससे जीवाणु, कवक एवं सूक्ष्मजीवी का प्रजनन और सक्रियता बहुत कम हो जाती है। नियंत्रित अवस्था में फल व सब्जियों की भौतिक व रासायनिक संरचना में परिवर्तन तथा उपापचय प्रक्रिया मंद पड़ जाती है जिससे इनका जीवनकाल बढ़ने के साथ–साथ नष्ट व खराब होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं।

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक देश में फल व सब्जियों के उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा उपभोक्ता तक पहुंचने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है। सरकार देश में बड़े पैमाने पर शीतगृह खोलने एवं शीत शृंखला स्थापित करने पर जोर दे रही है।

देश में शीतगृहों की संख्या एवं क्षमता

कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने दावा किया है कि सरकार जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के भंडारण के निर्माण के लिए तेजी से काम कर रही है। परिणामस्वरूप विगत कुछ वर्षों में देश में बड़े पैमाने पर शीतगृहों की स्थापना हुई है जिससे भारत विश्व में सबसे अधिक शीत–भंडारण क्षमता स्थापित करने वाला देश बन गया है। निजी क्षेत्र में शीत शृंखला निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता व सस्ते दर पर ऋण दे रही है। इसके लिए मेगा फूड पार्क के साथ शीत शृंखला प्रणाली का विकास किया जा रहा है। हंसा रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार, देश में 75 फ़ीसदी शीतगृहों में आलू का संरक्षण किया जाता है। देश में स्थापित 95 प्रतिशत शीतगृहों की स्थापना निजी क्षेत्रों द्वारा, 3 प्रतिशत कॉरपोरेट क्षेत्र के द्वारा और केवल 2 प्रतिशत शीतगृहों की स्थापना सरकारी क्षेत्रों द्वारा की गई है। वर्ष 2016–17 के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 7645 शीतगृह हैं जिनकी कुल क्षमता 34.95 मिलियन मीट्रिक टन है।

> किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए खेती को 'उद्यम' के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर किसानों को कृषिगत रोजगार मुहैया कराने और फसल उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए देशभर में 42 मेगा फूड पार्कों की स्थापना की जा रही है। ग्रामीण–स्तर पर स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन हेतु बैंकों से अनुदान व ऋण सहायता का प्रबंध किया गया है। कृषि उत्पाद आधारित लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना एवं सफल क्रियान्वयन हेतु आर्थिक अनुदान व सहायता की व्यवस्था की गई है।

कृषि बाजार तंत्र

किसानों के समक्ष खाद्यान्न उत्पादन से बड़ी चुनौती कृषि उत्पाद को बेचकर उचित मूल्य प्राप्त करना है। बाजार–तंत्र पर सेठ, साहूकार और बिचौलियों का कब्जा होने के कारण किसान कृषि उत्पाद औने–पौने दाम पर बेचने को मजबूर होता है। वैसे भी जब फसल तैयार होती है, तो मांग की तुलना में आपूर्ति की अधिकता के कारण फसल उत्पाद की कीमत बहुत कम हो जाती है। जहां बिचौलिये मोटा मुनाफा कमाने के लिए कृषि उत्पाद को कुछ समय तक रोक लेते हैं या देश के अन्य भागों में बेचते हैं वहीं किसान सालभर हाड़–तोड़ मेहनत और प्राकृतिक चुनौतियों से जूझते हुए फसल उत्पादन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। इसके बावजूद उसे फसल की समुचित कीमत नहीं प्राप्त होती है। यद्यपि सरकार किसानों को फसल के न्यूनतम मूल्य की गारंटी देने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की खरीदारी करती है, लेकिन इसके बावजूद कृषि उत्पाद के उपभोक्ता मूल्य और किसानों को प्राप्त कीमत में भारी अंतर होता है।

मंडी आधारित विपणन प्रणाली को राज्य सरकारों के कृषि व्यवसाय विनिमय प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों का संचालन अलग–अलग कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) द्वारा किया जाता है। एपीएमसी अधिनियम औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की देन है। इसे व्यवसाय विनिमय शुल्क एवं लाइसेंस के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यापारी को एक ही राज्य की विभिन्न मंडियों में व्यापार करने के लिए अलग–अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। मंडियों में खरीद–बिक्री को नियंत्रित करने के लिए विपणन बोर्ड होता है जोकि मंडियों में आधारभूत ढांचे का विकास कर किसानों और व्यापारियों की विपणन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। एपीएमसी की जटिल प्रक्रिया तथा राजस्व संग्रह के लिए निर्मित कराधान प्रणाली के कारण किसानों को उपज का समुचित मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है। किसानों को लागत मूल्य निकाल पाना

भी भारी पड़ता है। मंडी शुल्क में भिन्नता के कारण, किसानों द्वारा बिना लाभ प्राप्त किए भी कृषि उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इतना ही नहीं एक ही राज्य के अंदर भी अलग–अलग बाजार होने के कारण एक बाजार से दूसरे बाजार तक कृषि उत्पादों का मुक्त आवागमन नहीं हो पाता है। कई स्तर पर मंडी शुल्क देने पड़ते हैं। जटिल विपणन प्रणाली के कारण किसान बिचौलियों को कृषि उत्पाद बेचने को मजबूर होता है। विपणन प्रक्रिया की जटिलता को सरल बनाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने एग्रो ई–ट्रेडिंग प्लेटफार्म के रूप में 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' (ई–नाम) की शुरुआत की है।

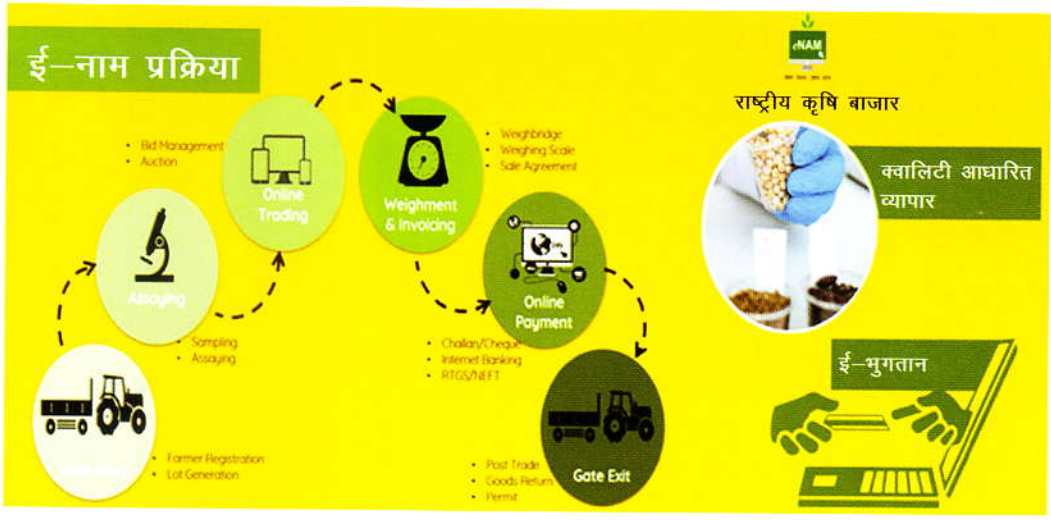

केंद्र सरकार कृषि विपणन प्रणाली में सुधार करते हुए किसानों को राष्ट्रीय–स्तर पर फसल बेचने के लिए 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' ई–नाम प्रणाली एवं स्थानीय स्तर पर 'ग्रामीण कृषि बाजार' की स्थापना कर रही है। ई–नाम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि संबंधी उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडी का विस्तार है। यह पोर्टल समस्त एपीएमसी से संबंधित सूचनाओं व सेवाओं को एक स्थान पर प्रदान कराता है। अखिल भारतीय ऑनलाइन व्यापार मंच द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत कृषि विपणन व्यवस्था लागू होने से उपभोक्ता और किसान के मध्य ऑनलाइन सूचनाओं का संवाद स्थापित हो सकेगा जिससे राष्ट्रीय–स्तर पर मांग व आपूर्ति के आधार पर खाद्य पदार्थों की कीमतों का निर्धारण हो सकेगा। किसानों की पहुंच राष्ट्रीय बाजार व्यवस्था तक हो सकेगी। किसानों को खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता के मुताबिक समुचित कीमत तथा उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बेहतरीन खाद्य उत्पाद प्राप्त हो सकेंगे।

राष्ट्रीय कृषि बाजार एक आभासी (अमूर्त) बाजार है परंतु इसके पीछे भौतिक (मूर्त) बाजार एपीएमसी का अस्तित्व है। एपीएमसी से संबंधित समस्त जानकारियां और सूचनाएं ई–नाम पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ई–नाम योजना के अंतर्गत ई–मार्केट प्लेटफार्म की स्थापना की गई है। ई–नाम प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु कृषि उत्पाद बाजार समितियों के कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। ई–नाम के अंतर्गत एकल लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की जा रही है जिससे किसान एकल व्यापार लाइसेंस द्वारा समूचे राज्य में कारोबार कर सकता है। इसके अंतर्गत एक जींस के थोक व्यापार के लिए एक ही स्थान पर बाजार शुल्क वसूलने की व्यवस्था की गई है। समस्त विपणन प्रणाली को पहले राज्य–स्तर पर फिर पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय–स्तर पर जोड़ा गया है।

ई–नाम के द्वारा देश की कृषि बाजार प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन मंच से जोड़ा गया है। इससे कृषि जिंसों का अखिल भारतीय व्यापार संभव हो सकेगा। इसमे बाजार शुल्क की वसूली एक स्थान पर किसान से पहली बार खरीद के समय की जाएगी। किसान अपने उत्पाद को ई–नाम बाजार में प्रदर्शित करेगा तथा व्यापारी देश के किसी भी स्थान से ऑनलाइन बोली लगा सकेगा। खुली बोली या प्रतिस्पर्धा के कारण किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। ई–नाम पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं गुजराती, तेलुगु, मराठी और बंगाली में उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर में भी ई–नाम मोबाइल ऐप लांच किया गया है। किसान मोबाइल ऐप की सहायता से ई–नाम में पंजीकरण और राज्य–स्तरीय एकल लाइसेंस प्राप्त कर सकता है, और कृषि उत्पादों की खरीद व बिक्री कर सकता है। मोबाइल

लघु और सीमांत किसान जो एपीएमसी या अन्य थोक बाजार तक नहीं पहुंच पाता है, को कृषि उत्पाद बेचने हेतु वित्तमंत्री ने बजट 2018–19 में मौजूदा 22000 ग्रामीण हाटों को 'ग्रामीण कृषि बाजार' के रूप में विकसित और उन्नत किए जाने का प्रस्ताव रखा है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई–नाम से जुड़े तथा एपीएमसी के विनिमय से छूट प्राप्त किए ग्रामीण कृषि बाजार किसानों को उपभोक्ता एवं थोक खरीदारों से सीधे जोड़ेगा जिससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। 22000 ग्रामीण कृषि बाजार और 585 एपीएमसी में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास और उन्नयन के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपये की स्थायी निधि के साथ एक 'कृषि बाजार अवसंरचना कोष' की स्थापना का प्रस्ताव है। ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास करने के लिए मनरेगा व अन्य योजनाओं का उपयोग किया जाएगा। किसानो को खेत से ही कंपनियों को उपज बेचने की छूट दी जा रही है जिसके लिए कानूनी जटिलताओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

एप्लीकेशन 5 भाषाओं हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु और उड़िया में शुरू किया गया है। पेमेंट गेटवे को अब राष्ट्रीय कृषि बाजार मंच से एकीकृत किया गया है। इसमें 90 उपजों को व्यापार मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। सरकार किसानों को ई–नाम के अंतर्गत व्यापारिक हिस्सेदारी सरल बनाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही है। ई–नाम द्वारा किसानों को स्थानीय मंडी के अतिरिक्त फसल बेचने के अन्य विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे जिससे किसानों को उपज का समुचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

लघु और सीमांत किसान जो एपीएमसी या अन्य थोक बाजार तक नहीं पहुंच पाता है, को कृषि उत्पाद बेचने हेतु वित्तमंत्री ने बजट 2018–19 में मौजूदा 22000 ग्रामीण हाटों को 'ग्रामीण कृषि बाजार' के रूप में विकसित और उन्नत किए जाने का प्रस्ताव रखा है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई–नाम से जुड़े तथा एपीएमसी के विनिमय से छूट प्राप्त किए ग्रामीण कृषि बाजार किसानों को उपभोक्ता एवं थोक खरीदारों से सीधे जोड़ेगा जिससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। 22000 ग्रामीण कृषि बाजार और 585 एपीएमसी में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास और उन्नयन के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपये की स्थायी निधि के साथ एक 'कृषि बाजार अवसंरचना कोष' की स्थापना का प्रस्ताव है। ग्रामीण कृषि बाजारों का विकास करने के लिए मनरेगा व अन्य योजनाओं का उपयोग किया जाएगा। किसानो को खेत से ही कंपनियों को उपज बेचने की छूट दी जा रही है जिसके लिए कानूनी जटिलताओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन

किसान साल में 5–6 महीने तक तो कृषि कार्यों में व्यस्त रहता है जबकि शेष 6 से 7 महीने खाली रहता है। इस दौरान या तो वह महानगरों में जाकर मजदूरी करता है अथवा बेरोजगार रहता है। फलों और सब्जियों की प्रकृति शीघ्रता से विनष्टकारी होने के कारण बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसे लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए शीतगृह में रखा जाता है। देश में शीतगृहों का अभाव होने के कारण बड़े पैमाने पर फल व सब्जियां खराब हो जाती हैं। खाद्य प्रसंस्करण विधि द्वारा जहां एक ओर फल व सब्जियों के भौतिक व रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन कर सामान्य तापक्रम पर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर किसानों को स्थानीय–स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। मोदी सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण की महत्ता को देखते हुए देश में पहली बार खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का गठन किया है। खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बजट 2018–19 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए 1400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 'प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना' आरंभ की गई है। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सभी 42 मेगा फूड पार्क में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा स्थापित की जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रतिवर्ष औसतन 8 प्रतिशत की दर से विकास हो रहा है। कृषि आय बढ़ाने के लिए डेयरी, पशुपालन, मत्स्य, पोल्ट्री इत्यादि के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का विस्तार मत्स्य एवं पशुपालन करने वालों तक कर दिया गया है। इसके लिए सरकार में प्रशिक्षण, सहायता और अनुदान देने की व्यवस्था की है। स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत स्वावलंबी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। टमाटर, आलू और

बेहतर आय के लिए मूल्य संवर्धन और सही आपूर्ति श्रृंखला

- कृषि क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का शुभारंभ
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कृषि सम्पदा योजना के तहत बजट आवंटन दोगुना किया गया
- ऑपरेशन ग्रीन्सः खराब होने वाली वस्तुओं जैसे टमाटर, प्याज और आलू (टी.ओ.पी) के मूल्यों में उतार- चढ़ाव की चुनौती का समाधान करने में किसानों एवं उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए अभियान
- ग्रामीण कृषि मंडियाः मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि मंडियों के रूप में विकसित और उन्नत बनाया गया ताकि 86 प्रतिशत से अधिक छोटे और सीमांत किसानों के हितों की देखरेख की जा सके। ई-नाम के साथ इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जुड़ी ये ग्रामीण कृषि मंडियां किसानों को अपना माल सीधे उपभोक्ताओं और बड़े खरीदारों को बेचने की सुविधा प्रदान करेंगी

खेती को नई मजबूती देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना

- 2015-18 की अवधि में कार्बनिक खेती के अंतर्गत 10,000 क्लस्टरों के जरिए दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया

नील क्रांति से किसानों के लिए नए आयाम खुले

- 3,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से 'मत्स्य उद्योग का एकीकृत विकास और प्रबंधन'
- मछली उत्पादन 2012-14 की अवधि के 186.12 लाख टन से बढ़कर 2014-16 के दौरान 209.59 लाख टन पर पहुंचा

एकीकृत कार्यक्रम, "हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना"

- कृषि क्षेत्र में 11 कार्यक्रमों/मिशनों को एक एकीकृत कार्यक्रम "हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना" के अंतर्गत समाहित किया गया

प्याज जैसी शीघ्र नष्ट होने वाली फसलों की कीमतों को निश्चितता से बचाने के लिए 'ऑपरेशन फ्लड' की तर्ज पर 'ऑपरेशन ग्रीन' योजना शुरु किया गया है। 'ऑपरेशन ग्रीन' के द्वारा किसानों, उत्पादक संगठनों, कृषि संभार तंत्र, प्रसंस्करण सुविधाओं, व्यवसाय प्रबंधन में सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपये की निधि की स्थापना की घोषणा की गई है।

देश में समावेशी विकास के लिए सेवा और औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति के साथ–साथ कृषि क्षेत्र का विकास भी आवश्यक है। देश की लगभग दो तिहाई आबादी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में संलग्न है। कृषि क्षेत्र में बढ़ते जनांकिकी दबाव की चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि का औद्योगीकरण किया जा रहा है। इसके लिए सरकार परंपरागत कृषि प्रणाली का आधुनिकीकरण कर, कृषि की आधारभूत अवसंरचना विकास के निवेश पर जोर दे रही है। किसानों को मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों का परीक्षण कर मृदा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रदान किया जा रहा है जिससे किसान आवश्यकतानुसार उर्वरकों का उपयोग कर सकें। इसी प्रकार उर्वरकों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए नीम कोटेड यूरिया के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। असिंचित भू–भाग में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और सिंचित भू–भाग में जल संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। आधुनिक कृषि संयंत्रों के निर्माण में सब्सिडी और कर राहत तथा किसानों द्वारा कृषि संयंत्रों को खरीदने के लिए ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। खाद्यान्न और फल–सब्जियों को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए भंडारगृहों एवं शीत गृहों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अभी इसकी संख्या पर्याप्त नहीं है। कृषि उत्पादों की विपणन प्रणाली में सुधार के लिए ई–नाम पोर्टल एवं 'ग्रामीण कृषि बाजार' को स्थापित किया जा रहा है जोकि कृषि विपणन प्रणाली की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। स्थानीय–स्तर पर रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी पर जोर दिया जा रहा है। इससे किसान घरेलू स्तर पर उपलब्ध कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन कर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। स्वयंसहायता समूह बनाकर खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी द्वारा स्थानीय–स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा रहा है। सरकार कृषि के उत्थान और किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है। जरूरत है कि सरकारी योजनाओं का धरातल पर ईमानदारी से क्रियान्वन किया जा सके।

संदर्भ : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट; खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की रिपोर्ट
https://enam.gov.in/; http://nhb.gov.in/
https://www.mygov.in/; https://www.narendramodi.in/;
http://agriculture.gov.in/; http://agricoop.nic.in/

(लेखक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, हाथरस में अभिहित अधिकारी हैं।)
ई–मेलः dewashishupadhy@gmail.com